!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

कमांक : स्था./81/2026/ 30689 दिनांक : 16/11/26.

:: आ दे श ::

I

निम्नांकित कर्मचारीगण के सामने कॉलम संख्या–4 में अंकित न्यायालय में की गयी प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था को प्रशासनिक आधार पर तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	मूल पदस्थापन न्यायालय	प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था न्यायालय
1	2	3	4
1	श्री रजत कुमार सोनी, आशुलिपिक ग्रेड प्रथम	पोक्सो न्यायालय संख्या–4, अलवर	अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2, अलवर
2	श्री संकेत कुमावत, आशुलिपिक ग्रेड तृतीय	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर (आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पद के विरूद्ध स्वयं के पद के वेतनमान पर)	अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–3, अलवर

II

निम्नांकित कर्मचारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन, प्रशासनिक आधार पर तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	वर्तमान पद व न्यायालय	नवीन पद व न्यायालय	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री राजकुमार शर्मा	लिपिक ग्रेड प्रथम अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–6, अलवर	लिपिक ग्रेड प्रथम अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगढ	रिक्त पद पर

III

निम्नांकित कर्मचारीगण को प्रशासनिक कार्यव्यवस्था के तहत तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु निम्न प्रकार लगाया जाता है :–

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	मूल पदस्थापन न्यायालय	कार्यव्यवस्था न्यायालय
1	2	3	4
1	श्री रजत कुमार सोनी, आशुलिपिक ग्रेड प्रथम	पोक्सो न्यायालय संख्या–4, अलवर	अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–3, अलवर

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अलवर (राज0)

2	श्री संकेत कुमावत, आशुलिपिक ग्रेड तृतीय	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर (आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पद के विरूद्ध स्वयं के पद के वेतनमान पर)	अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2, अलवर
3	श्री राजकुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड प्रथम	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगढ	अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ
4	श्रीमती सोना शर्मा, लिपिक ग्रेड द्वितीय	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, थानागाजी

नोट :–

1– कार्यालय आदेशों की पालना 03 कार्य दिवसों में आवश्यक रूप से की जाये।

2– आदेश क्रम–I में अंकित कर्मचारीगण की पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था न्यायालय से प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था समाप्त कर, सीधे ही आदेश क्रम– III में अंकित न्यायालय में कार्यव्यवस्था में लगाये जाने से कर्मचारीगण को पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था कार्यालय से औपचारिक रूप से कार्यभार मुक्त कर सीधे ही कार्यव्यवस्था कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जावे।

3– आदेश क्रम– III में क्र.सं. 4 पर अंकित कर्मचारी को निर्देश है कि वे इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था./50/2023/22360 दिनांक 21.07.2023 में दिये गये निर्देशानुसार अपने पूर्व पद (प्रोसेस सर्वर/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) का कार्य पूर्ववत करेगी।

4– कर्मचारियों की कार्यमुक्ति आदेश व उपस्थिति रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

Sd-
(अनन्त भण्डारी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र

क्रमांक : स्था./2026/30690-710 दिनांक : 16/11/26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय सं. 4, अलवर
2. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 6 अलवर/थानागाजी/रामगढ
3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर
4. अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी
6. अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2 अलवर/सं. 3 अलवर
7. संबंधित कर्मचारी/व्यक्तिगत पत्रावली/लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली
8. सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित न्यायालयों को ई–मेल करने हेतु।

16.11.26
(अनन्त भण्डारी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र